

#### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4395]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 2018/कार्तिक 9, 1940

No. 4395]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2018/KARTIKA 9, 1940

#### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5602(अ).—बेनामी संपित संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् बेनामी अधिनियम कहा गया है) की धारा 71 यह उल्लिखित करती है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि जब तक बेनामी अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की नियुक्ति या अपील अधिकरण की स्थापना नहीं की दी जाती तब तक धन- शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीएमएल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और पीएमएल अधिनियम की धारा 25 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण बेनामी अधिनियम के अधीन क्रमश: न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपील अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा;

केन्द्रीय सरकार ने बेनामी अधिनियम की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएमएल अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 3288(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2016 द्वारा 1 नवंबर, 2016 से, न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों को नियुक्ति और अपील अधिकरण की स्थापना की है;

बेनामी अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों की नियुक्ति और अपील प्राधिकरण की स्थापना पर बेनामी अधिनियम की धारा 71 के अधीन अधिसूचित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपील अधिकरण बेनामी अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, और यह कि बेनामी अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों की नियुक्ति और अपील अधिकरण की स्थापना तथा बेनामी अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारियों और उक्त अपील अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के बीच समय का अंतराल होगा;

बेनामी अधिनियम के अधीन फाइल निर्देशों और अपीलों के संबंध में जो कि क्रमश: न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपील अधिकरण के समक्ष लंबित हैं और बेनामी अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आरंभकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील फाइल करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है, बेनामी अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की नियुक्ति और अपील अधिकरण की स्थापना तथा बेनामी अधिनियम के

6481 GI/2018 (1)

अधीन उक्त प्राधिकारी और उक्त अपील अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में समय अंतराल से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता है:

बेनामी अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आरंभकर्ता प्राधिकारी द्वारा जिस मास में निर्देश प्राप्त करता है उस मास के अंत से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् आदेश पारित नहीं करेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी जिस तारीख को बेनामी अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करेगा बेनामी अधिनियम की धारा 71 के अधीन अधिसूचित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष निर्देश लंबित हो सकेंगे जिसमें धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन कम समयाविध में आदेश पारित करना अपेक्षित हो सकेगा;

बेनामी अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास उक्त निर्देशों के संबंध में आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय न हो, इन तथ्यों के दृष्टिकोण से यह कठिनाई उत्पन्न हुई है और बेनामी अधिनियम के अधीन ऐसे आदेश पारित करने के लिए सीमित समय की उपलब्धता से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है;

अत:, केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2018 है।
  - 2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 71 में आने वाले "स्थापित अपील अधिकरण इस अधिनियम के" शब्दों के पश्चात् "ऐसी अवधि के लिए और उन मामलों या मामलों के वर्ग के संबंध में जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 370149/194/2017-टीपीएल] प्रवीण रावल. निदेशक (कर नीति तथा विधान)

#### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

## **ORDER**

New Delhi, the 31st October, 2018

**S.O.** 5602(E).—WHEREAS, section 71 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988) (hereinafter referred to as the *Benami* Act) states that the Central Government may, by notification, provide that until the Adjudicating Authorities are appointed and the Appellate Tribunal is established under the *Benami* Act, the Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the PML Act) and the Appellate Tribunal established under section 25 of the PML Act may discharge the functions of the Adjudicating Authority and Appellate Tribunal, respectively, under the *Benami* Act;

AND, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 71 of the *Benami* Act has appointed the Adjudicating Authority and established the Appellate Tribunal under the provisions of the PML Act *vide* notification number S.O. 3288 (E), dated 25<sup>th</sup> October,2016 with effect from 1<sup>st</sup> day of November, 2016;

AND, whereas, on appointment of the Adjudicating Authority and establishment of the Appellate Tribunal under the *Benami* Act, the Adjudicating Authority and the Appellate Tribunal notified under section 71 of the *Benami* Act shall cease to discharge the functions under the *Benami* Act, and whereas, there shall be a time gap between the appointment of the Adjudicating Authority and establishment of the Appellate Tribunal under the *Benami* Act and discharging the functions of the said Authority and the said Appellate Tribunal under the *Benami* Act;

AND, whereas, a difficulty has arisen in respect of the reference and appeal filed under the *Benami* Act which are pending before the Adjudicating Authority and the Appellate Tribunal respectively and in respect of receiving references from the Initiating Officer by the Adjudicating Authority and filing of appeal

against the order of the Adjudicating Authority under the *Benami* Act, there is a need to remove the difficulty arising from the time gap between the appointment of the Adjudicating Authority and establishment of the Appellate Tribunal under the *Benami* Act and discharging the functions of the said Authority and the said Appellate Tribunal under the *Benami* Act:

AND, whereas, sub-section (7) of section 26 of the *Benami* Act provides that the Adjudicating Authority shall not pass order after the expiry of one year from the end of the month in which the reference has been received by it from the Initiating Officer and whereas, on the date on which the Adjudicating Authority under the *Benami* Act shall discharge the functions under the *Benami* Act, there may be references pending before the Adjudicating Authority notified under section 71 of *Benami* Act in which order under sub-section (3) of section 26 may be required to be passed in a short period of time;

AND, whereas, a difficulty has arisen in view of the fact that the Adjudicating Authority appointed under the *Benami* Act may not have sufficient time for passing an order in respect of said references and there is a need to remove the difficulty arising from the availability of limited time for passing such order under the *Benami* Act;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988) the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:-

- 1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Prohibition of *Benami* Property Transactions (Removal of Difficulties) Second Order, 2018.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In section 71 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988, after the words "under this Act" occurring at the end, the words "for such period and in respect of such cases or class of cases as may be specified in the said notification" shall be inserted.

[F. No. 370149/194/2017-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy & Legislation)